

# FROM NO. III

## फर्द अहकाम (नियम 26)

अज्र अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनाम .....

जिस मुकदमा 126LK सेट नं. ११७ सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
२५/५/१७	<p>तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम सांगरियां के खाता संख्या 54 सेग्रीगेशन जमाबन्दी में अपवादित खातों में आ रहा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 54 में श्री शंकर लाल,दोली, कंकू पिता देवा गीता पत्नि देवा 1/15 भग्गा,बाबरू पिता गोपाल 2/15 हि0ब0 भील दर्ज है। जबकि जमाबन्दी रोटेशन सवत 2053 से 2056 के खाता संख्या 33 पर देवा,भग्गा,बाबरू पिता गोपाल 1/3 हि0ब0 भील दर्ज है। नां.सं. 320 से देवा की विरासत दर्ज हुई, उसमें से श्री शंकरलाल, दोली, कंकू पिता देवा गीता बेवा देवा 1/15 भग्गा, बाबरू, पिता गोपाल 2/15 दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि शंकरलाल, दोली, कंकू पिता देवा गीता बेवा देवा 1/9 व भग्गा, बाबरू, पिता गोपाल 2/9 दर्ज होना था। लेकिन नामान्तरण सं. 320 गलत दर्ज हुआ है। ग्राम सांगरिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 नामान्तरण संख्या 320 एवं ग्राम सांगरिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053-56 नामान्तरण संख्या 33 की सही फोटो प्रति प्रेषित कर, राजस्व रेकार्ड में सही अंकन करने की अनुरोध तहसीलदार डूंगला द्वारा कर खातों में दुरुस्ती की अनुमति चाही गई।</p> <p>तहसीलदार डूंगला प्रेषित प्रस्ताव, अभिशंषा व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रस्ताव राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निस्तारण हेतु सही पाया गया है। अतः ग्राम सांगरियां के नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वर्णित खाता संख्या 54 में श्री शंकरलाल, दोली, कंकू पिता देवा गीता बेवा देवा 1/15 भग्गा, बाबरू, पिता गोपाल 2/15 दर्ज के बजाय शंकरलाल, दोली, कंकू पिता देवा गीता बेवा देवा 1/9 व भग्गा, बाबरू, पिता गोपाल 2/9 हिस्सा दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे।</p> <p>इसी आशय का आदेश पृथक से जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला